न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय: अनुसूचित जाति/जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम मामलात) चूरू (राजस्थान)

लिंक न्यायालयः अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, चूरू

पीठासीन अधिकारी	–	राजेन्द्र चौधरी, (RJS)
प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या	–	80/2026 पी.एस. राजलदेसर
जमानत प्रार्थना पत्र संख्या	–	159/2026
CNR No	–	RJCH010006732026

1– परमेश्वरलाल पुत्र फागणराम प्रजापत निवासी वार्ड नं. 01, आथूणा मौहल्ला राजलदेसर पुलिस थाना, राजलदेसर जिला–चूरू (राज.)

2– कानाराम पुत्र फागणराम प्रजापत निवासी वार्ड नं. 01, आथूणा मौहल्ला राजलदेसर पुलिस थाना, राजलदेसर जिला–चूरू (राज.)

3– सीताराम पुत्र फागणराम प्रजापत निवासी वार्ड नं. 01, आथूणा मौहल्ला राजलदेसर पुलिस थाना, राजलदेसर जिला–चूरू (राज.)

4– सरोज पत्नी परमेश्वरलाल प्रजापत निवासी वार्ड नं. 01, आथूणा मौहल्ला राजलदेसर पुलिस थाना, राजलदेसर जिला–चूरू (राज.)

– आरोपी/प्रार्थीगण

वि रू द्ध

राज्य जरिये विशिष्ट लोक अभियोजक, चूरू (राजस्थान)

– अप्रार्थी

जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस.

उपस्थित:–

1. श्री ललीत गौतम, योग्य अधिवक्ता – आरोपी/प्रार्थीगण की ओर से।
2. श्री गोरधनसिंह, योग्य विशिष्ट लोक अभियोजक – राज्य की ओर से।

– आ दे श:–

दिनांक: 27–05–2026

1– न्यायाधीश, विशिष्ट न्यायालय: अनुसूचित जाति/जनजाति(अत्याचार निवारण) अधिनियम मामलात) चूरू के परावृत्ति अवकाश पर होने से आरोपी/प्रार्थीगण की ओर से यह जमानत आवेदन पत्र धारा 483 बी.एन.एस.एस. के अधीन लिंक न्यायालय के रूप में प्रस्तुत करने पर आवेदन पत्र की प्रति योग्य विशिष्ट लोक अभियोजक को उपलब्ध करवाई गई। केस डायरी का अवलोकन किया गया।

2– संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि दिनांक 03–05–2026 को परिवादी सांवरमल ने हाजिर थाना होकर एक टाईपशुदा रिपोर्ट इस आशय की पेश की कि कस्बा राजलदेसर की रोही में खेत खसरा नम्बर 1769/902 तादादी 2.2764 हैक्टयर कृषि भूमि जिसके खातेदार मालिक हंसराज सोनी ने प्रार्थीगण के बड़े भाई शिशपाल व उसकी धर्मपत्नी शारदा देवी व उनके साथ काम करने वाला नेमाराम व मोहनराम धेतरवाल दिनांक 02–05–2026 को गये, जहां परमेश्वर प्रजापत, सीताराम, कानाराम व परमेश्वर

Authenticate Document

प्रजापत की पत्नी पहले से एकराय होकर मौजूद थे। उन्होंने इन लोगों से पूछा कि तुम लोग कौन हो और खेत में क्या कर रहे हो, इतने में परमेश्वर की पत्नी गालियां निकालनले लगी तो नेमाराम ने उन्हें गालियां निकालने से मना किया तो परमेश्वरलाल, कानाराम व सीताराम उसके साथ थाप मुक्की करने लगे और जातिसूचक गालियां निकालते हुए कहने लगे कि मादरचोद रूंगा तेरी इतनी औकात की तू उन्हें रोकेगा और पूछेगा, जिस पर उसके भाई शिशपाल व भाभी शारदा देवी ने नेमाराम का बीच बचाव किया तो परमेश्वरलाल अपने साथ पहले से हाथ में लाई कुल्हाड़ी से उसके भाई शिशपाल व नेमराम के बाए पैर पर कुल्हाड़ी की दे मारी और उसकी भाभी के साथ परमेश्वरलाल की पत्नी ने मारपीट करनी शुरू कर दी। परमेश्वर प्रजापत के कुल्हाड़ी के वार के कारण उनके पैर से अत्यधिक खून बहने लगा और पैर में अत्यधिक चोट आ गई और हड्डी टूट गई। मोहनराम धेतरवाल ने जैसे तैसे उसकी भाभी का बीच बचाव कर उक्त अप्रार्थीगणगण से छुड़ाककर उसके भाई शिशपाल व नेमाराम को लेकर राजकीय अस्पताल राजलदेसर आए , वगैरह वगैरह। उक्त लिखित रिपोर्ट के आधार पर पी.एस. राजलदेसर में प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 80/2026 अपराध अन्तर्गत धारा 115(2), 126(2), 189(2) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3(1)(r)(s), 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट में दर्ज की जाकर अनुसंधान प्रारंभ किया गया। बाद अनुसंधान अभियुक्तगण के विरूद्ध धारा 115(2), 126(2), 117(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3(1)(r)(s), 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट अपराध प्रमाणित पाये जाने पर अभियुक्तगण को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किये जाने पर अभियुक्तगण को न्यायिक अभिरक्षा में लिये जाने पर यह जमानत का प्रार्थना पत्र पेश हुआ।

3– बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई। योग्य अधिवक्ता आरोपी/प्रार्थीगण का यह तर्क रहा कि आरोपी/प्रार्थीगण को झूठा फंसाया गया है, वे निर्दोष है। परिवादी व प्रार्थीगण का खेत का विवाद राजस्व न्यायालय में चार पांच साल से चल रहा है। आरोपी/प्रार्थीगण परिवादी व किसी नेमाराम नामक व्यक्ति को नहीं जानते तथा ना ही इनके परिवार को जानते हैं। आरोपी/प्रार्थीगण से किसी प्रकार का अनुसंधान शेष नहीं है। प्रकरण के विचारण में समय लगने की संभावना है। आरोपी/प्रार्थीगण के भागने या रूहपोश होने की संभावना नहीं है। घटना दिनांक 02–05–2026 की होकर प्रकरण की प्रथम सूचना रिपोर्ट बढ़ा चढ़ाकर मुकदमे को संगीन बनाने के लिए दिनांक 03–05–2026 को दर्ज करवायी गई है। आरोपी/प्रार्थीगण मौतबीर जमानतें पेश करने को तैयार है। अतः आरोपी/प्रार्थीगण को जमानत का लाभ दिये जाने का निवेदन किया।

4– योग्य विशिष्ट लोक अभियोजक द्वारा उक्त तर्कों का विरोध करते हुये आरोपी/प्रार्थीगण का जमानत आवेदन पत्र खारिज करने का निवेदन किया। परिवादी बाजवूद सूचना न्यायालय में उपस्थित नहीं आया है। आरोपी/प्रार्थीगण प्रमेश्वरलाल प्रजापत, सीताराम व कानाराम का पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड निम्न प्रकार से हैंः–

क्र.सं.	नं.मु. पी.एस.	धारा	नतीजा चालान	नतीजा न्यायालय

Authenticate Document

01	167/2022 पी.एस. राजलदेसर	धारा 323, 341, 447, 354 बी, 506, 143, 382 भा.दं.सं. व धारा 3(1)(s), 3(1)(r), 3(1)(w), 3(2)(va)	जैर अनुसंधान	--

5– बहस पर मनन किया गया तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। आरोपी/प्रार्थीगण के विरूद्ध धारा 115(2), 126(2), 117(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता व धारा 3(1)(r)(s), 3(2)(va) एससी/एसटी एक्ट के अपराध का आरोप है। हालांकि आरोपी/प्रार्थीगण परमेश्वरलाल, कानाराम व सीतराम का पत्रावली पर पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड पेश किया गया है, जिनमें आरोपीगण के विरूद्ध एक प्रकरण दर्ज होकर अनुसंधानाधीन होना प्रकट हुआ है, किन्तु आरोपी/प्रार्थीगण में एक आरोपी महिला होकर प्रकरण अनुसंधान के स्तर पर लम्बित है, जिसमें अनुसंधान की कार्यवाही चल रही है। प्रकरण के शेष अनुसंधान व विचारण में समय लगने की संभावना से इन्कार नहीं किया जा सकता। ऐसी स्थिति में प्रकरण के समस्त तथ्यों, परिस्थितियों व महिला को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किए आरोपी/प्रार्थीगण को इस मामले में जमानत का लाभ दिया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

–: आदेश: –

6– लिहाजा आरोपी/प्रार्थीगण परमेश्वरलाल पुत्र फागणराम प्रजापत निवासी वार्ड नं. 01, आथूणा मौहल्ला राजलदेसर पुलिस थाना, राजलदेसर जिला–चूरू (राज.), कानाराम पुत्र फागणराम प्रजापत निवासी वार्ड नं. 01, आथूणा मौहल्ला राजलदेसर पुलिस थाना, राजलदेसर जिला–चूरू (राज.), सीताराम पुत्र फागणराम प्रजापत निवासी वार्ड नं. 01, आथूणा मौहल्ला राजलदेसर पुलिस थाना, राजलदेसर जिला–चूरू (राज.) व सरोज पत्नी परमेश्वरलाल प्रजापत निवासी वार्ड नं. 01, आथूणा मौहल्ला राजलदेसर पुलिस थाना, राजलदेसर जिला–चूरू (राज.) की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 483 बी.एन.एस.एस. स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि यदि आरोपी/प्रार्थीगण इस न्यायालय के समक्ष चालीस हजार रूपये का निजी बन्ध पत्र एवं चालीस हजार रूपये राशि की जमानत प्रस्तुत कर तस्दीक करवा लेवे तो उन्हें इस प्रकरण में अविलम्ब जमानत पर रिहा कर दिया जावें।

(राजेन्द्र चौधरी)

7. आदेश आज दिनांक 27–05–2026 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र चौधरी)

Authenticate Document

MAHESH KUMAR BOHRA

Digitally signed by MAHESH KUMAR BOHRA
Date: 2026.05.27 09:14:25 +0530